मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 52/2024

1. इन्द्रसैन पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण साकिन 2 जे.डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
2. भालाराम पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण साकिन 2 जे.डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र सुल्तानराम जाति ब्राहम्ण साकिन 2 जे.डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान
2. रजनी पुत्री शंकरलाल पत्नी प्रेमकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 12/8/2024

वादीगण की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से श्री सद्दाम हुसैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 2 जे.डब्ल्यू के खाता संख्या 65/56 के प.न. 86/358 के किला नं. 4/2/0.126, 5, 6, 7/2/0.127, 14/2/0.126, 15, 16, 17/2/0.127, 24/2/0.126, 25 की कुल 1.897 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:24 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा